

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/149/2017

अपीलार्थी:-

श्री महेन्द्र मोहन पुत्र रामचन्द्र जाति  
रैगर निवासी ग्राम धीरोडा तहसील  
राजगढ जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति०  
जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 12-12-2017

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 05.10.2017 के माध्यम से पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.17 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.11.17 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2224 दिनांक 08.12.17 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा०पत्र० दिनांक 05.10.17 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 2204-05 दिनांक 07.12.17 से चाही गई सूचना के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी, निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



*(Signature)*  
(सिजन विशाल)  
जिला कलेक्टर, अलवर